

Review of the Annual Administrative Report of the Secondary Education Department for the Year 2015-16

Ever since the inception of State of Haryana on 1st November 1966, there has been rapid expansion in the field of education, both in terms of quality and quantity. The State has made a remarkable progress in the extension of educational facilities, especially in rural areas. Universalization of education and qualitative improvement in education at different levels were the priority areas of the Department during the period under report. However, the learning level outcome of students was not witnessed upto the desired level for which strenuous efforts were made after October, 2014. Rigorous inspection of schools has been undertaken at all the levels which will yield results in long run.

2. During 2015-2016, a total amount of ₹ 2633.19 crore was spent on Secondary Education. 3363 (1387 Govt. + 1970 Non Govt.) High Schools and 4300 (1871 Govt. + 2429 Non Govt.) Senior Secondary Schools were functioning in the State during the year under report, for dissemination of education. A total of 44,656 teachers were teaching in various Govt. High/Senior Secondary Schools and 8.79 lac students at High level, 5.96 lac students at all (Govt. & Non Govt.) Senior Secondary level were enrolled in the State.

3. Various incentives like free uniform, stationery, text books, stipends and scholarships were provided to the students belonging to the Scheduled Castes and Weaker Sections of the society. Special emphasis was laid on providing greater incentives to girl students. During the period under report, an amount of ₹ 157.37 crore was spent on these incentives/financial aid to students of reserved categories and other weaker sections of society studying in the State.

4. The Department has also geared up Literacy projects to improve girl education and to make the National Literacy Mission a success in the State.

5. During the period from 01.04.2015 to 31.03.2016, Sh. Ram Bilas Sharma was the Education Minister.

6. Sh. T.C. Gupta, IAS held the office of Principal Secretary, Govt. of Haryana, School Education from 01.04.2015 to 11.10.2015. Thereafter Smt. Keshni Anand Arora, IAS, remained on the post of Additional Chief Secretary, Government of Haryana, School Education Department upto 31.03.2016.

7. Sh. M.L. Kaushik, IAS, from 01.04.2015 to 31.03.2016 hold the post of Director Secondary Education.



(P.K. Das)

**Additional Chief Secretary
to Government of Haryana,
School Education Department, Chandigarh.**

Dated: 02-05-2017

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

01 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का तेजी से गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विस्तार हुआ है। राज्य ने शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग की गतिविधियों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर अपेक्षित स्तर का नहीं था जिसके लिए सतत प्रयास मास अक्टूबर 2014 से किए जा रहे हैं। अतः बड़े पैमाने पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है जिसका दीर्घावधि में परिणाम निकलेगा।

2. वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शिक्षा पर कुल ₹ 2633.19 करोड़ खर्च किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में शिक्षा प्रदान करने के लिए 3363 (1387 सरकारी + 1970 गैर-सरकारी) उच्च विद्यालय तथा 4300 (1871 सरकारी + 2429 गैर-सरकारी) वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अस्तित्व में थे। कुल 44,656 अध्यापक राज्य में विभिन्न प्रकार के राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। राज्य में उच्च स्तर पर 8.79 लाख तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 5.96 लाख विद्यार्थी सभी (सरकारी व गैर-सरकारी) विद्यालयों में दाखिल किए गए।


3. अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों, विशेषकर छात्राओं को निःशुल्क वर्दी, लेखन – सामग्री, पाठ्य – पुस्तकें, वृत्तिका तथा छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहन दिए गए। बालिका शिक्षा पर बल देने के लिए उनको विशेष प्रोत्साहन दिए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य में पढ़ने वाले समाज के आरक्षित एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता हेतु ₹157.37 करोड़ खर्च किए गए।

4. राज्य सरकार ने राज्य में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाने के लिए साक्षरता परियोजनाओं को गति दी है।

5. दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान श्री रामबिलास शर्मा, शिक्षा मन्त्री रहे।

6. श्री टी0सी0 गुप्ता, आई0ए0एस0, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग में 01.04.2015 से 11.10.2015 तक कार्यरत रहे। इसके उपरान्त श्रीमती केशनी आनन्द अरोडा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग में 31.03.2016 तक कार्यरत रहीं।

7. 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान श्री एम0एल0कौशिक, आई0ए0एस0 ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्य किया।



(पी0 के0 दास)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

दिनांक : 02-05-2017

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

1. ढांचा

1.1 सचिवालय स्तर पर

वर्ष 2015-16 में 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिवालय स्तर पर ढांचा इस प्रकार रहा :-

शिक्षा मंत्री	अवधि
श्री रामबिलास शर्मा	01.04.2015 से 31.03.2016

1.2 प्रशासनिक स्तर पर

नाम	पद	अवधि
श्री टी०सी० गुप्ता, आई०ए०एस०	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग	01.04.2015 से 11.10.2015
श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, आई०ए०एस०	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग	12.10.2015 से 31.03.2016

1.3 निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर वर्ष 2015-16 के दौरान श्री एम०एल० कौशिक, आई०ए०एस० द्वारा कार्य किया गया।

1.4 अन्य अधिकारीगण

वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निदेशक महोदय को सहयोग दिया:-

माध्यमिक पक्ष

क्रमांक	पद का नाम	अधिकारियों की संख्या
1	अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (एच.सी.एस.)	3

2	उप निदेशक	5
3	सहायक निदेशक	4
4	मुख्य लेखा अधिकारी	1
5	बजट अधिकारी (वि०)	1
6	रजिस्ट्रार शिक्षा (वि०)	1
7	जिला न्यायवादी	1
8	सहायक जिला न्यायवादी	3
9	टैक्नोलॉजी अधिकारी	1
10	अधीक्षक / उप अधीक्षक	14
11	अनुसंधान अधिकारी	1
12	प्रोग्रामर	5

1.5 जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय का प्रशासन, नियंत्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा – नीतियों को कार्यरूप देने में सहयोग करते हैं। जिलों में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक विज्ञान परामर्शदाता, एक गणित परामर्शदाता तथा एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त हैं।

1.6 विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के द्वारा चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

1.7 मान्यता प्राप्त विद्यालय

मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रशासन, सम्बन्धित प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

अध्याय दूसरा

2.1 उच्च स्तर की शिक्षा

राज्य में उच्च स्तर की शिक्षा कक्षा नौवीं और दसवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएँ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.35 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.1.1 उच्च विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2015-16 में राज्य में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लड़कियों के लिए	कुल
राजकीय	1212	175	1387
अराजकीय	1973	3	1976
कुल	3185	178	3363

2.1.2 छात्र नामांकन

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही:-

कक्षा 9वीं से 10वीं तक छात्र संख्या (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित)

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 9वीं से 10वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	179953	198670	378623	78108	82535	160643
अराजकीय	313513	186954	500467	32624	18056	50680
कुल	493466	385624	879090	110732	100591	211323

2.1.3 अध्यापक संख्या

वर्ष 2015-16 के दौरान उच्च विद्यालयों में तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही:-

प्रबन्ध	पुरुष	महिलाएं	कुल
राजकीय	13860	9957	23817
अराजकीय	8639	13221	21860
कुल	22499	23178	45677

2.2 वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) स्तर की शिक्षा

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त गान्धिता-प्राप्त अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं। राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.81 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.2.1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2015-16 में राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार रही:-

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लड़कियों के लिये	कुल
राजकीय	1588	283	1871
अराजकीय	2394	35	2429
कुल	3982	318	4300

2.2.2 विद्यालयों का स्तरोत्थान

वर्ष 2015-16 के दौरान केवल एक ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय का स्तर बढ़ाकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया गया।

2.2.3 छात्र नामांकन

वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही:-

कक्षा 11वीं से 12वीं तक

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 11वीं से 12वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	115701	118620	234321	35418	37124	72542
अराजकीय	216723	144911	361634	17930	12041	29971
कुल	332424	263531	595955	53348	49165	102513

2.2.4 अध्यापक संख्या

वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही:-

प्रबन्ध	पुरुष	महिलाएं	कुल
राजकीय	10994	9845	20839
अराजकीय	7983	10924	18907
कुल	18977	20769	39746

(नोट:-इस अध्याय में दर्शाए गए विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या यू-डिसे डाटा (U-DISE Data) से ली गई हैं)

अध्याय तीसरा

शिक्षा का बजट

3.1 माध्यमिक शिक्षा का बजट

वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शिक्षा पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई:-

नॉन प्लान स्कीम	138596.13 लाख
केन्द्रीय प्रायोजित योजना (प्लान)	27707.06 लाख
प्लान स्कीम	97015.57 लाख
कुल	263318.76 लाख

3.2 विद्यालय भवनों का निर्माण/मरम्मत

1. नान प्लान मद में हरियाणा राज्य के सभी 21 जिलों में 1362.85 लाख रूपए की राशि विद्यालयों के निर्माण/रिपेयर/नवीनीकरण/रख रखाव के कार्य हेतु व्यय की गई।
2. प्लान मद में हरियाणा राज्य के सभी 21 जिलों में 1421.85 लाख रूपए की विद्यालयों के निर्माण/रिपेयर/नवीनीकरण/रख रखाव के कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई।
3. जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्माण कार्यों की मोनीटरिंग (Monitoring) करवाने हेतु आदेश दिये गये। निर्माण कार्यों के पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे गये।
4. इसके अतिरिक्त कैपिटल शीर्ष 4202 मद में 1409.97 लाख रूपए की राशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग, हरियाणा को 13 विद्यालयों के निर्माण/पूर्व में चल रहे कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति जारी की गई।
5. राज्य के सभी राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलवाया गया।
6. सभी राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करवाने हेतु सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये।

अध्याय चौथा

छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं सुयोग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा-प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग हरियाणा के द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है जो इस प्रकार है :-

4.1 राजीव गांधी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना

राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2015-16 के लिये 147.21 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी तथा इस राशि से 14700 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए। वर्ष 2015-16 में स्कीम के अन्तर्गत केवल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई थी।

4.2 पंजाबी मैरिट छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के उद्देश्य के लिये वर्ष 2015-16 में 44,100/- रुपए की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 49 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए।

4.3 हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे

इस योजना के तहत उन सभी छात्र/छात्राओं को वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा दसवीं में न्यूनतम 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये 14.16 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 787 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

4.4 एक मुश्त भत्ता योजना के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 3212.32 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 221521 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.5 मासिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 7094.61 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है, जिसके अन्तर्गत 221521 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.6 नैशनल टैलेंट सर्च छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लिये भी 10.96 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम को निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव द्वारा संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2015-16 में स्कीम के अन्तर्गत 85 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.7 नैशनल मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति योजना-सी0एस0एस0 प्लान

यह योजना निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव द्वारा संचालित की जा रही है। संचालित की जाने वाली परीक्षा के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिये स्कीम के अन्तर्गत खर्च हेतु 4.09 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 1466 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.8 मासिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ रहे बी0पी0एल0/बी0सी0-ए के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

वर्ष 2015-16 में बी0पी0एल0 वर्ग योजना के लिये 689.78 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 28844 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

वर्ष 2015-16 में बी0सी-ए0 वर्ग योजना के लिये 3654.18 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 137259 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.9 स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र-पौत्रियों एवं दौहता-दौहतियों को मासिक छात्रवृत्ति

इस योजना में वर्ष 2015-16 में 5.84 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। जिससे 181 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.10 कक्षा 9वीं व 11वीं में राजकीय विद्यालयों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें उपलब्ध कराना एवं साइकिल मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाना

इस योजना में वर्ष 2015-16 के लिए 903.66 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। स्कीम में वर्ष 2015-16 में 38636 छात्र/छात्राओं को केवल मुफ्त साइकिलें ही उपलब्ध करवाई गईं।

अध्याय पांचवां

अन्य योजनाएं

5.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0 स्कीम)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2004--05 में लागू की गई थी। इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा जुटाई जाती है।

(i) आई0सी0टी0 स्कीम--500 विद्यालयों में

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा पोषित थी। इस योजना को लागू करने के लिए विभाग द्वारा एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम लि0 व सैन मिडिया लि0 (390 स्कूलों के लिए एच0सी0एल0 और 110 स्कूलों के लिए सैन मिडिया) के साथ क्रमशः दिनांक 19.01.2010 और 26.11.2010 (प्रभावित तिथि) को अनुबंध किया गया। ये दोनों अनुबंध क्रमशः दिनांक 18.01.2015 व 25.11.2015 को पूर्ण होने उपरांत समाप्त हो चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015--16 में दिनांक 31.03.2016 तक 4,13,92,740/— रूपए खर्च किये गये हैं।

(ii) आई0सी0टी0 स्कीम--2617 विद्यालयों में

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा पोषित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा Core Education & Technologies Ltd. के साथ कुल अनुबंधित राशि 295.00 करोड़ में BOO/BOOT आधार पर 25.03.2011 को पांच वर्ष के लिए अनुबंध किया गया। अनुबंध की शर्तों अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक विद्यालय में 22 कम्प्यूटर, सम्बन्धित सामग्री सहित जैसे कि प्रोजेक्टर, प्रिंटर आदि से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब स्थापित की जानी थी व 2617 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में एक प्रयोगशाला सहायक तैनात करना था। सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्य न करने के कारण विभाग द्वारा सेवाप्रदाता का अनुबंध दिनांक 23.04.2014 को रद्द कर दिया गया।

आई0सी0टी0 योजना लागू करने के लिए विभाग द्वारा कम्प्यूटर फैकैल्टी व प्रयोगशाला सहायकों को जिन्हें पूर्व में प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात किया गया था, उन्हें 31.05.2016 तक अपने अधीन वर्क ऑर्डर आधार पर नियुक्त कर लिया गया जिस दिनांक 31.05.2016 तक दो मास के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015--16 में 115.14 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2015--16 में दिनांक 31.03.2016 तक 87,34,02,695/— रूपए कम्प्यूटर अध्यापकों के व लैब सहायकों के वेतन के रूप में खर्च किये गये।

5.2 सतत कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम (Comprehensive Computer Education Programme)

यह योजना पूर्ण रूप से राज्य पोषित थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा एवरोन एजुकेशन लि0 के साथ प्रभावित तिथि 24.09.2010 को पांच वर्ष के लिए BOO/BOOT आधार पर अनुबंध किया गया। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 213 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 24 कम्प्यूटर, एक सर्वर, दो प्रिंटर, यूपीएस, जैनसैट, प्रोजेक्टर व अन्य सम्बन्धित सामग्री से सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई। सर्विस प्रदाता के साथ किया गया अनुबंध दिनांक 23.09.2015 को पूर्ण होने उपरांत समाप्त हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 12.00 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई तथा दिनांक 31.03.2016 तक 830.75 लाख रूपए की राशि पुराने कम्प्यूटर के रख रखाव और सर्विस प्रदाता के बिलों की अदायगी हेतु खर्च की गई।

5.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा – योग्यता परियोजना की रूपरेखा (National Vocational Education Qualification Framework Project)

1. शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एन0वी0ई0क्यू0एफ0 परियोजना तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित एवं कुशल कारीगरों की कमी को पूरा करना है ताकि स्कूली शिक्षा पूरी करते ही छात्र-छात्राएं अपना रोजगार प्राप्त कर सकें।
2. 490 स्कूलों में 41570 छात्रों का दाखिला किया गया। इनमें 240 स्कूल 2014-15 तक कवर कर लिये गये और 2015-16 में 250 नए स्कूल शामिल किए गए जिनमें विभिन्न व्यवसायिक विषयों को शुरू किया गया।
3. पेशेंट केअर असिस्टेन्ट, फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स और ब्यूटी एवं वैलनस स्किलस के लैवल-3 के शिक्षकों का प्रशिक्षण जून 2015 में पूरा कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त 3 नए स्किलस एग्रीकलचर, मीडिया एन्टरटेनमेन्ट एनीमेशन एवं ट्रेवल एण्ड टूरिज्म की इंडेक्शन एवं ओरियनटेशन अक्टूबर 2015 में पूरी कर ली गई।
4. 490 स्कूलों में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें पहुंचाई गई।
5. मार्च 2015 में दसवीं कक्षा में विभिन्न व्यवसायिक विषयों का परीक्षा का परिणाम भी सर्वोत्तम रहा जिसकी पास प्रतिशता 93.60% और कक्षा बारहवीं की पास प्रतिशता 92.40% रही।
6. रिटेल, सिक्योरिटी, आई.टी.आई.टी.एस. एवं आटोमोबाइल व्यवसायिक विषयों के 215 छात्रों (जो कि नौकरी के लिए इच्छुक थे) को नौकरी दिलवाई गई।
7. वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुमोदन हेतु 500 नए स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर मंजूरी मिल गई है। इन विद्यालयों में हैल्थ केअर (विजन टैक्नीशन) बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसिस बैंकिंग एण्ड ईन्शोरेन्स सर्विसिस एवं फैशन डिजाइनर से सम्बन्धित नए व्यवसायिक विषय आरम्भ किए गये हैं।

5.4 समावेशित शिक्षा परियोजना—माध्यमिक स्तर (IED-SS)

आई.ई.डी.—एस.एस. स्कीम हेतु भारत सरकार के द्वारा इस चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 1089.94 लाख रुपए के कार्यप्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं तथा भारत सरकार के द्वारा इस चालू वित्त वर्ष से इस स्कीम की वित्त पद्धति (Funding Pattern) 60:40 के अनुपात में की गई है। यह स्कीम राज्य के 119 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 119 संसाधन केन्द्रों की स्थापना करके संचालित की जा रही है, इन संसाधन केन्द्रों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में कुल 5791 दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत थे। वित्त वर्ष 2015—16 में, इन दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई थी:—

- 715 दिव्यांग बच्चों में 3000/— प्रति दिव्यांग छात्र, कुल 21.48 लाख रुपए की राशि अनुरक्षण भत्ते हेतु खर्च की गई है।
- 1208 दिव्यांग छात्रों में 2200/— प्रति छात्र कुल 26.08 लाख रुपए की राशि वजीफे हेतु खर्च की गई है।
- 458 दिव्यांग छात्रों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कुल 20.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।
- 84 दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल बुक उपलब्ध करवाने हेतु कुल 4.21 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।
- दिनांक 14.09.2015 से 09.10.2015 तक सभी डिविजन स्तर पर चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया था। जिसमें कुल 7.84 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।
- दिव्यांग बच्चों के लिए साहसिक एवं प्रकृति अध्ययन शिविर दिनांक 11 से 15 जून, 2015 तक मनाली (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित किया गया था। जिस पर कुल 9.17 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।
- दिव्यांग बच्चों के लिए दिनांक 06 से 08 दिसम्बर, 2015 को ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सैक्टर-3, पंचकूला में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 821 दिव्यांग बच्चों के द्वारा भाग लिया गया था। इस कार्यक्रम पर कुल 9.12 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

5.5 साक्षरता अभियान

प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, साक्षर भारत, हरियाणा के 10 जिलों, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, जीन्द, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़ व सिरसा में क्रियान्वित है। दो नए जिले मेवात व पलवल हाल ही में शामिल किये गए हैं।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA), हरियाणा ने वर्ष 2015-16 के लिये 2,00,000 निरक्षरों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (NLMA) द्वारा हरियाणा के साक्षर भारत जिलों में 23.08.2015 को आयोजित मूल्यांकन परीक्षा में 1,09,095 नव साक्षरों ने भाग लिया जिनमें से 72,402 लाभार्थी सफल हुए। इसी प्रकार वर्ष की दूसरी मूल्यांकन परीक्षा जो दिनांक 20.03.2016 को आयोजित की गई थी। उसमें निर्धारित 1 लाख लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1.08 लाख नव साक्षर शामिल हुए। इस प्रकार वर्ष 2014-15 में कुल 1,08,740 नव साक्षर परीक्षा में शामिल हुए। हरियाणा के 8 सांसद आदर्श ग्रामों में सभी 3222 सक्षम शिक्षार्थियों ने भी इस परीक्षा में भाग लिया।

5.6 नाबार्ड परियोजना के तहत शौचालय निर्माण/हैंड पम्प लगाना

नाबार्ड स्कीम के तहत 1571.18 लाख रूपए की राशि राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय व हैंड पम्प हेतु व्यय की गई थी।

5.7 मुख्यमंत्री सौन्दर्यकरण योजना

मुख्यमंत्री सौन्दर्यकरण योजना के तहत वर्ष 2015-16 में विद्यालयों में सौन्दर्यकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 99.00 लाख रूपए की राशि व्यय की गई थी।

5.8 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम

राज्य सरकार ने अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली एवं व्यवसायिक बनाने के लिए शैक्षिक ढांचे की पुनः संरचना की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) का भी पुनर्गठन किया गया है और सेवापूर्व प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण, योजना एवं प्रबन्धन, अनुसंधान एवं मूल्यांकन के लिए सभी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान अपने-अपने जिले में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए नोडल संस्थानों के रूप में कार्य कर रही हैं ताकि स्कूली शिक्षा का सम्बन्धित जिले में विकास हो सके। राज्य सरकार के जिन 4 जिलों (मेवात, फतेहाबाद, पलवल और झज्जर) में स्वीकृत की गई डी0आई0ई0टी0 में अध्यापन कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त मेवात और फतेहाबाद में अल्पसंख्यक समुदायों एवं अनुसूचित जातियों की देखरेख के लिए 2 खण्ड अध्यापक शिक्षक संस्थान स्वीकृत किये गये थे। अब इन संस्थानों में भी अध्यापन कार्य चल रहा है। इस समय राज्य के 25 सरकारी संस्थानों में 2650 छात्र-अध्यापक प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं तथा 10000 से अधिक अध्यापक, मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य एवं अन्य अधिकारियों को वर्ष 2015-16 में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया है।

5.9 आरोही आदर्श विद्यालय (36)

भारत सरकार के द्वारा हरियाणा में 36 आरोही ई.बी.बी. मॉडल विद्यालयों का 75:25 के अनुपात में खोलने की योजना बनाई गई है। ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केन्द्रीय विद्यालयों के

तर्ज पर बनाये गये हैं जिनमें कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के लगभग 8000 बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा रही है। परन्तु वित्त वर्ष 2015-16 में, यह स्कीम भारत सरकार से delinked होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कुल 36 विद्यालयों में से, 24 विद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ये विद्यालय स्वयं की ईमारत में चलाये जा रहे हैं तथा शेष 12 विद्यालय अभी निर्माणाधीन हैं। जो निकट के सरकारी विद्यालयों में चलाये जा रहे हैं।

इन विद्यालयों हेतु कुल 2232 टिचिंग एवं नान-टिचिंग कर्मचारियों की स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में, 17 प्रधानाचार्य, 299 पी.जी.टी. तथा 23 लाईब्रेरियन इन विद्यालयों में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बाह्य स्रोतों (outsourcing) के द्वारा अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन विद्यालयों में निम्नलिखित गतिविधियां भी संवाहित की गई:-

1. युवा ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान 600 बच्चों हेतु कुल 25.00 लाख रुपए आबंटित किये गये।
2. विभिन्न गतिविधियों पर 8000 बच्चों हेतु कुल 177.43 लाख रुपए आबंटित किये गये।

वित्त वर्ष 2015-16 में, राज्य सरकार के अन्तर्गत इस स्कीम हेतु कुल 50.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से 1426.68 लाख रुपए आरोही मॉडल स्कूल के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन हेतु व्यय किये गये तथा 3502.00 लाख रुपए राज्य परियोजना निदेशक को आरोही मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य पर हुये खर्च हेतु हस्तांतरित किये गये।

5.10 'शिक्षक डायरी' प्रकाशन

विद्यालयों में शिक्षा प्रबन्धन, प्रशासन व नियोजन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक डायरियां वितरित की गई।

5.11 डयूल -डैस्क योजना

वर्ष 2015-16 में डयूल-डैस्क प्लान पक्ष स्कीम के तहत 2500.00 लाख रुपए सरकार द्वारा आरक्षित किये गये थे तथा डयूल-डैस्क के लिए 1711.43 लाख रुपए खर्च हुए थे तथा शेष 7,88,56,680 रु० की राशि सरैन्डर की गई है। क्योंकि हरियाणा वन विकास विभाग से भुगतान हेतु बिल प्राप्त नहीं हुए थे।

5.12 गैर सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुदान देना

वर्ष 2015-16 में गैर सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मागलों का निपटान किया गया था। इस वर्ष 2015-16 में कुल 536 पीपीओओ/जीपीओओ जारी किए गए जिनके भुगतान के लिए तथा पेंशन ऐरियर देने के लिए 5315.83 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

5.13 ई-गवर्नेंस स्कीम/आईटी सैल

ई-गवर्नेंस स्कीम के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, इत्यादि में ई-गवर्नेंस में कम्प्यूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस स्कीम में 364.54 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित गतिविधियां/लक्ष्य हासिल किये गए हैं:-

- डीईओ व बीईओ कार्यालय में आंशिक रूप से कम्प्यूटर प्रिंटर आदि प्रदान किए गए।
- विभाग की विभिन्न गतिविधियां कम्प्यूटरीकरण के तहत करने हेतु कई ऐपलिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किये गये व जारी थे।
- कर्मचारियों डाटाबेस बनाया गया था। आंकड़ों को नियमित अद्यतन करना एक नियमित प्रक्रिया थी।
- माध्यमिक/प्राथमिक निदेशालय, डीईओ, डीईईओ, बीईओ, बीईईओ, डाईट, एससीआईआरटी और उत्कर्ष के उपस्थिति चिहनीकरण का कार्य किया गया। आधार पंजीकरण हेतु आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, डीईओ, डीईईओ, डाईट, एससीआईआरटी और उत्कर्ष कार्यालयों तथा सभी सरकारी स्कूलों में स्थापित की गई थी।
- केन्द्रीय फाईल अवागमन का ट्रैकिंग सूचना प्रणाली का मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वयन किया गया है।
- विभाग में चोरी के केस नियंत्रण के लिए तथा विभागीय गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा स्थापित किये गए हैं।

5.14 खेल-कूद

रिपोर्टधीन वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा ने 98 स्वर्ण, 97 रजत एवं 117 कांस्य पदक (कुल 312 मैडल) प्राप्त किये। राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में समस्त भारत वर्ष में हरियाणा राज्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता हेतु राज्य सरकार द्वारा 100.00 लाख (नान-प्लान) रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था, जो विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर खर्च

कर लिया गया। राजकीय स्कूलों में खेल सामान व खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 500.00 लाख रुपए की राशि का प्रावधान था, जिसमें से 297.02 लाख (प्लान) रुपए की राशि का खेल सामान राजकीय उच्च विद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध करवाया गया तथा 100.00 लाख रुपए की राशि विभिन्न राजकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु समर एडवेचर कैम्प, विंटर एडवेचर कैम्प, समुद्र तटीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आदि के आयोजन हेतु जारी की गई।

5.15 बुक बैंक

वर्ष 2015-16 में राज्य के सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 350.00 (प्लान) लाख रुपए की राशि प्रावधान किया गया था। जिसमें 229.18 लाख रुपए की राशि भिन्न-भिन्न विद्यालयों द्वारा पुस्तकों की खरीद पर खर्च कर ली गई थी।

5.16 स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु 50.00 लाख (नान-प्लान) रुपए की राशि अनुदान के रूप में हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाईड एसोसिएशन को उपलब्ध करवाई गई तथा 300.00 लाख (प्लान) रुपए की राशि राज्य के विभिन्न स्कूलों में स्काउट, गाईड, कब एवं बुलबुल की गतिविधियों के व्यापक प्रसार हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों तथा हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाईड एसोसिएशन को उपलब्ध करवाई गई। जो कि शत प्रतिशत राशि खर्च कर ली गई थी। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के 07.98 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की देखरेख में जिला स्तरीय स्टैंडर्ड जजिंग कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें प्रदेश भर के 21000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इन शिविरों में विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें-हस्तकला प्रदर्शनी, तत्काल तम्बू लगाना, बुलबुल वृक्ष, जंगल खेल, कब-बुलबुल ग्रीटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, चित्रकला प्रतियोगिता, खिलौने बनाना, मिट्टी की कलाकृतियां बनाना, बिना बर्तनों के भोजन बनाना, आपदा प्रबंधन, लोक नृत्य, लोक गीत, रागनी, जागरूकता रैली, कैम्प फायर आदि प्रमुख रही।

5.17 'विद्यार्थी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम'

'विद्यार्थी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम' के अन्तर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रोहतक में दिनांक 23.05.2015 को राज्य स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता एवं समारोह आयोजित किया गया जिसमें राज्य के विभिन्न विद्यालयों से 2000 छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताएं खण्ड स्तर पर, जिला

स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर आयोजित की गई, जिनमें राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 6,67,130 विद्यार्थियों ने मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, परित्यक्त महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा एक्ट 2005, दहेज उन्मूलन, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, रैगिंग, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण एवं जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी दिशाएं, पुलिस पब्लिक सहयोग, स्वच्छता आदि विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – निबन्ध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, भाषण, वाद-विवाद, कविता वाचन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, सामाजिक विषयों पर डोक्यूमेंटरी आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम हेतु प्लॉग पक्ष पर 50.00 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था।

5.18 समर एवं विंटर एडवेंचर कैंप

समर एवं विंटर एडवेंचर कैंपों का आयोजन क्रमशः ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान दिनांक 01.06.2015 से 30.06.2015 तक पांच बैचों में तथा 11.10.2015 से 21.10.2015 तक दो बैचों में मनाली (हिमाचल प्रदेश) में नैशनल एडवेंचर क्लब (इंडिया) चंडीगढ़ और हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन के सहयोग से किया गया। जिनमें विभिन्न हल्की साहसिक गतिविधियों जैसे चट्टानों की चढ़ाई, रस्सी के द्वारा चट्टानों से उतरना, नदी पार करना, राईफल शूटिंग, निशानेबाजी, लोक नृत्य और गायन, पर्वतारोहण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। इन सभी शिवरों में 1575 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। निदेशालय से विभिन्न अधिकारियों ने समय-समय पर कैंप का निरीक्षण किया।

5.19 कोस्टल स्टडी कैम्प केरल

समुद्रतटीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग केरल के सहयोग से दिनांक 29.12.2015 से 07.01.2016 तक चेरथल्ला (केरल) में किया गया, जिसमें प्रदेश के राजकीय विद्यालयों से ग्यारहवीं कक्षा की 125 मेधावी छात्राओं सहित 25 विशेष आवश्यकताओं वाली छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत समुद्रतटीय ट्रेकिंग, केरल की सांस्कृतिक धरोहर, समुद्रतटीय क्षेत्रों की वनस्पतियों व जीवन शैली का अध्ययन, सांस्कृतिक एवं भाषाई आदान प्रदान मंच, केरल की शैक्षणिक प्रणाली का अवलोकन आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

5.20 राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, भोपाल (म0प्र0)

मध्यप्रदेश विद्यालय शिक्षा विभाग एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय भानव संग्रहालय, भोपाल (म0प्र0) के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 18.12.2015 से 20.12.2015 तक आयोजित राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव में हरियाणा राज्य की लोकनृत्य की टीम ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा रुपए 21,000/- का नकद इनाम हासिल किया। इससे पूर्व राज्य स्तरीय बालरंग महोत्सव का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,

मॉडल टाउन रोहतक में दिनांक 20.11.2015 से 21.11.2015 तक हुआ तथा इसमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने हेतु भोपाल भेजा गया था।

—0—

अध्याय छठा

अन्य शाखाओं द्वारा किए गए कार्य

निदेशालय की अन्य शाखाओं द्वारा वर्ष 2015-16 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए।

6.1 प्रशासन शाखा

सरकार द्वारा जारी हिदायतों/आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया गया जिसमें स्थापना से सम्बन्धित कार्य जैसे कि ए0सी0पी0, लोन, पेंशन तथा पदोन्नति सम्बन्धित मामलों को निपटाया गया।

6.2 एच0आर0जी0-। शाखा

1. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य के 70 चिकित्सा बिल स्वीकृत किए गए।
2. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य के 145 ए.सी.पी. मामले स्वीकृत किए गए।
3. 43 प्राचार्यों को पूर्व तिथि से पदोन्नति प्रदान की गई।

6.3 एच0आर0जी0-।। शाखा

एच0आर0जी0-।। शाखा द्वारा निम्न मामलों में स्वीकृतियां जारी की गई हैं-

- | | | |
|---------------|---|-----|
| 1. ए0सी0पी0 | - | 247 |
| 2. सेवावृद्धि | - | 116 |
| 3. मैडिकल बिल | - | 124 |

6.4 एच0आर0एम0ई0

वर्ष 2015-16 में 34 सहायकों की पदोन्नति उप अधीक्षक के पद पर की गई तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई।

अध्याय सातवां

राज्य चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना

विषयांकित मामले में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पत्र क्रमांक 4764/आई-4/रा.चौ.ब्यूरो. (ह.) दिनांक 21.04.2016 से प्राप्त सूचना के आधार पर अंकित किया जाता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये व उनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज किए गए :-

वर्ष 2015-16 अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये व उनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये:-

क्र० सं०	मुकदमा क्रमांक दिनांक व जेरधारा	विरुद्ध	छापा मारने की तिथि	घूस में ली गई राशि
1.	55 दिनांक 18.08.2015, धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	i) राजीव त्यागी, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत। ii) सत नारायण, सेवादार, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।	18.08.2015	500 / -- रूपए
2.	62 दिनांक 21.09.2015, धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।	हरीश कुमार, लिपिक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जुन्डला, जिला करनाल।	21.09.2015	1,000 / -- रूपए
3.	11 दिनांक 02.02.2016, धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	i) मनी राम, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द ने ii) जोगिन्द्र हुडा, जिला मौलिक शिक्षा, जीन्द की तरफ से घूस ली।	02.02.2016	40,000 / -- रूपए

निम्नलिखित अपराधिक मुकदमों में अधिकारियों/कर्मचारियों को भ्रष्टाचार उन्नामूलन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है:-

क्र. सं.	विरुद्ध	सजा	मुकदमा क्रमांक दिनांक व जेरधारा
1.	i) बलवान सिंह, डी०पी०आई०, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मन्डोला, जिला भिवानी। ii) महीपाल, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, मानकवास, जिला भिवानी। iii) अजय चाहर, गणित अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक	प्रत्येक को 3 वर्ष की सजा व 10,000 / -- रूपए जुर्माना।	02 दिनांक 10.02.2010, जेरधारा 420/467/468/471/120-बी भा०द०स० व 131(डी) पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। (जांच पर)

	विद्यालय, ऊन, जिला भिवानी। iv) शक्ति सिंह, डी०पी०आई०, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तलवंडी रुक्का, जिला हिसार। v) राजकुमार, विज्ञान अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धिकताना, जिला हिसार।		
2.	रामेश्वर दास, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, खण्ड बड़ागुढा, जिला सिरसा।	2 वर्ष की सजा व 10,000/- रूपए जुर्माना।	16 दिनांक 02.05.2013, जेरधारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। (रेड पर)
3.	रत्ती राम, सहायक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।	2 वर्ष की सजा व 5,000/- रूपए जुर्माना।	55 दिनांक 04.12.2013, जेरधारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। (रेड पर)

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित जांचे दर्ज की गई:-

क्र० सं०	जांच क्रमांक व दिनांक	विरुद्ध
1.	04 दिनांक 16.06.2015, यमुनानगर।	i) प्रेम प्रकाश, वास्तुकला अध्यापक (सेवानिवृत्त) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर तुम्बी, बिलारापुर, जिला यमुनानगर। ii) प्रेम लता, मुख्याध्यापक (सेवानिवृत्त) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोटडा, बिलासपुर, जिला यमुनानगर। iii) सुमित वर्मा, वास्तुकला अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजिजपुर, बिलासपुर, जिला यमुनानगर। iv) अन्जु वर्मा, वास्तुकला अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-17, पंचकूला। v) पूजा वर्मा, वास्तुकला अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर, जिला यमुनानगर। vi) दीपा वर्मा, गैस्ट टीचर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मलिकपुर बांगर, बिलासपुर, जिला यमुनानगर।
2.	10 दिनांक 04.11.2015, अम्बाला।	हमीर सिंह, गणित लैक्चरर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ी बसी, खण्ड शहजादपुर, जिला अम्बाला।
3.	01 दिनांक 21.01.2016 भिवानी।	अधिकारी/कर्मचारी, हरियाणा स्कूल शिक्षा, बोर्ड, भिवानी।
4.	02 दिनांक 16.03.2016 भिवानी।	सुरेन्द्र कुमार, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गरवा, खण्ड सिवानी, जिला भिवानी।